न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आरएएस

प्रकरण सं0 : 62/2017

अनवान :

धर्मपाल पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- प्रार्थी

बनाम

जसवन्त पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी बेर तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

- अप्रार्थी

आवेदन बाबत स्वीकृत करवाने रास्ता अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित शर्त 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिशंस

उपस्थिति : वकील प्रेमप्रकाश झोरड़ **: प्रार्थी**

निर्णय **दिनांक :** 20.11.17

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 4 जेएसएल के वर्तमान खाता सं0 45/49 के मु0नं0 65 के किला नं0 6 की 0.253 है0 किला नं0 14 ता 17 प्रत्येक की 0.253 है0 मु0न0 66 के किला नं0 4 की 0.253 है0 किला नं0 5 की 0.152 है0 किला नं0 7 की 0.202 है0 किला नं0 8, 11 ता 13 प्रत्येक की 0.253 है0 किला नं0 14 की 0.063 है0 किला नं0 20 की 0.089 है0 कुल किता 14 की 3.036 है0 नहरी खातेदारी प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि स्थित है।

प्रार्थी उक्त खातेदारी के दक्षिणी तरफ अप्रार्थी की मु0नं0 65 के किला नं0 24 व 25 मु0नं0 66 के किला नं0 18, 19, 20/1, 21, 22, 23 मु0नं0 68 किला नं0 1, 2, 10 मु0न0 69 किला नं0 4 ता 7 कुल किला 19 की 3.089 है0 नहरी मय खाला की खातेदारी स्थित है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी की उक्त खातेदारी पहले मुश्तर्का खातेदारी हुआ करती थी तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थी सगे भाई है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी ने अपनी अपनी भूमि का हाल ही में विभाजन करवाया है। जिसमें अप्रार्थी के मु0नं0 69 के किला नं0 6 व 7 के दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिमी स्वीकृतशुदा रास्ता है जिससे होकर प्रार्थी एवं अप्रार्थी अपनी मुश्तर्का खातेदारी में आवागमन करते थे परन्तु अब उक्त भूमि का दक्षिणी तरफ का हिस्सा अप्रार्थी के हिस्सा में बंटवारा में आ गया तथा उतरी तरफ का भाग प्रार्थी के हिस्सा में आ गयाय। अब प्रार्थी अप्रार्थी के नाम दर्ज मु0नं0 69 के किला नं0 4 व 7 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ एवं मु0नं0 65 के किला नं0 24 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ चलकर अपनी खातेदारी मु0नं0 65 के किला नं0 24 व मु0नं0 69 के किला नं0 4 व 7 के अलावा अन्य कोई चालू या स्वीकृतशुदा रास्ता नहीं है ऐसे में उक्त रास्ता प्रत्येक किला में से एक एक बिस्वा को प्रार्थी स्वीकृत करवाने का कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत फरमाने हेतु निवेदन किया।

हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने चक 4 जेएसएल के खाता सं0 45/49 में स्थित अपनी कृषि भूमि में से आवागमन के लिए रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। चूंकि काश्तकार को अपनी कृषि भूमि की सार–सम्भाल व कृषि उत्पाद ढोने के लिए रास्ता आवश्यक है व प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता ही सबसे सरल, सुलभ व निकटतम दूरी का रास्ता है एवं इस बाबत प्रार्थी व अप्रार्थी दोनों ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया है जो बाद तस्दीक पत्रावली शुमार है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम संपठित धारा 8(2) राजस्थान कोलोनाईजेशन कण्डिशंस एक्ट का मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है तथा चक 3 जेएसएल के मु0नं0 69 के किला नं0 4 व 7, मु0नं0 65 के किला नं0 24 के पश्चिमी तरफ दक्षिण से उतर की तरफ एक–एक बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार राजस्व भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़